

भारत छोड़ो आंदोलन में शहीदों का एक अध्ययन (विशेष संदर्भ, आष्टि गाँव, वर्धा, जिला, महाराष्ट्र)

प्रवीण पाठक

पी-एच.डी. विकास एवं शांति, महात्मा गान्धी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र, भारत।

सारांश

अगस्त १९४२ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अंग्रेजों को "भारत छोड़ो" की चुनौती दी और इन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर करने के लिए अभूतपूर्व स्तर पर जनांदोलन छेड़ दिया। भारत छोड़ो आंदोलन एक सशक्त ज्वार की भाँति सारे देश में फैल गया। उसने समाज के सभी वर्गों के लोगों को अपने में समेत कर उनमें देशभक्ति की उत्कट भावना और देश के लिए मर मिटने की अदम्य लालसा पैदा कर दी। मध्य प्रांतों में दो स्थानों पर विशेष विद्रोह हुआ। वो स्थान थे। आष्टि और चिमुर में जहाँ पर लोगो ने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए इनमें से सबसे अधिक प्रभावित आष्टि गाँव हुआ था जहाँ के लोगों ने एक पुलिस चौकी पर सत्याग्रह करने का निश्चय किया जिसमें कुछ पुलिस वालों की बाद में हत्या हो गई। इस आष्टि गाँव के सैकड़ों लोगों को ब्रिटिश सरकार ने सजा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव महाराष्ट्र के वर्धा जिले के आष्टि गाँव पर भी पड़ा। आष्टि तालुका जो शहीदों की भूमि के नाम से जाना जाता है। आष्टि वर्धा से पचास मील की दूरी पर है। भारत छोड़ो आंदोलन में एक प्रमुख स्थान रखता है।

मूल शब्द: आष्टि, भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह।

प्रस्तावना

1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भारतीय जन की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के आठों प्रांतों के लोगों ने भाग लिया। इस आंदोलन में शहरी वर्ग, मध्यम वर्ग, ग्रामीण वर्ग, के लोगों ने भाग लिये। सुमित सरकार आधुनिक भारत में लिखते हैं की भारत छोड़ो आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन में आम जनता की भागीदारी की दृष्टि से नई ऊँचाइयों को छुआ। जैसा कि पहले के जनांदोलन में भी हुआ था, 1942 के विशाल जन उभार ने अपनी प्रचंडता आयाम, लक्ष्य और रणनीति की दृष्टि से पहले के सभी संघर्षों को पीछे छोड़ दिया। इस देश के युवा, कृषक, शहरी, ग्रामीण, मध्यम वर्गीय हों या निम्नवर्गीय, वकील, छात्र, कामगार, कारीगर तथा किसान आदि हर वर्ग के लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया। ८ अगस्त १९४२ को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होते ही सभी कांग्रेसी नेताओं की सामूहिक गिरफ्तारी कर ली गई जिससे लोग नेतृत्वहीन और भ्रमित हो गए। परिणामस्वरूप यह आंदोलन एक जनविद्रोह के रूप में विकसित हुआ यह अत्यंत विशाल स्तर पर एक जन उभार आया जिसने ब्रिटिश राज के अस्तित्व को ही हिला कर रख दिया। लोगों ने अपना गुस्सा दिखाने के अनेक तरीके निकाल लिए। कुछ स्थानों पर विशाल भीड़ पुलिस थानों, कचहरियों और रेलवे स्टेशनों और अन्य सरकारी प्रतिकों पर आक्रमण करने लगी। पुलिस की अवज्ञा करते हुए सार्वजनिक भवनों पर बलपूर्वक राष्ट्रीय झण्डा फहराया गया। सैकड़ों हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर ग्रामीणों ने रेल की पटरियाँ उखाड़ दीं कहीं कहीं छोटे समूहों में लोगों ने पुल उड़ा दिए, सड़क खोद दिए और टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काट दिए। ग्रामीण इलाकों में किसानों की विशाल भीड़ निकटतम तहसील, जिला, मुख्यालयों को घेरकर समस्त सरकारी प्रतीकों पर आक्रमण करने लगी।¹ भारत छोड़ो आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन में आम जनता की भागीदारी की दृष्टि से नई उचाइयों को छुआ। इस आंदोलन में देश के युवाओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। कॉलेज, यहाँ तक कि स्कूलों के भी छात्र इस आंदोलन में सबसे आगे दिखाई देते थे, विशेष रूप से अगस्त के शुरुआत में इस आंदोलन कि जान कृषक वर्ग था। जिसमें सभी श्रेणियों के

किसान, अमीर और गरीब, शामिल थे। विशेषकर पूर्वी सयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल का मिदनापुर और महाराष्ट्र के सतारा में था। देश के अन्य भागों आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल में भी। कृषक आंदोलन के तौर तरीकों में खास बात यह थी कि स्थानीय स्तर पर ही केंद्रित रहते हुए सरकारी प्रतिकों पर हमला किया जाता था।² राष्ट्रीय आन्दोलन का अध्ययन स्थानीय स्तर पर हुए आंदोलनों के अध्ययन से ही किया जा सकता है। कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य केंद्र बिन्दु जनता होती है। जनता की भागीदारी ही आंदोलन को सफल बना सकती है। राष्ट्रीय आन्दोलनों में स्थानीय जनता की भागीदारी का अध्ययन नहीं करते तब तक राष्ट्रीय आंदोलनों में जनता की भूमिका को समझ नहीं सकते हैं। सुमित सरकार आधुनिक भारत में लिखते हैं की समग्र भारत छोड़ो आंदोलन का विश्लेषण स्थानीय अध्ययनों के आधार पर ही किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे अध्ययन अपूर्ण हैं। क्योंकि समस्या यह है की भारत छोड़ो आंदोलन का इतिहास कुछ प्रांतों तक आकर सिमट जाता है संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत, बंबई, बिहार, बंगाल, बरार, में फैले भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव का वर्णन हमें इतिहास के पन्नों में मिल जाता है गाजीपुर, बलिया, बनारस, इलहाबाद, पूर्णिया, शाहाबाद, चंपारण, बिहार के समस्त गंगा घाटी का इतिहास हो। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन महाराष्ट्र के सतारा जिले, बंगाल के मिदनापुर में देखने को मिल जाता है। जिस आष्टि गाँव के लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय सभी प्रकार के भेद भुलाकर चाहे वो हिन्दू हों या मुस्लिम सभी एक साथ मिलकर भारत को आजाद कराने में मुख्य भूमिका अदा की चाहे वो प्रथम शहीद डॉ. गोविंद राव मालपे जी हों या नवाब रशीद खॉ सादल जी हो चाहे फांसी की सजा पाने वाले काले खान विलायत खान जी हों इससे बड़ी धार्मिक सदभावना पूरे भारत में उस समय देखने को नहीं मिलता है। जबकि उस समय पूरा भारत सांप्रदायिक दंगों की चपेट में जल रहा था जहाँ हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे को मार रहे थे। एक दूसरे को नफरत भरी नजरों से देख रहे थे लेकिन उसी समय सांप्रदायिक दंगों के बीच में भारत के एक छोटे से गाँव आष्टि में धार्मिक सदभावना की एक बड़ी मिसाल पेश की जा रही थी इस पूरे भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते समय हम उत्तर

प्रदेश के बलिया, बंगाल के मिदनापुर, मद्रास, ओड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र के सतारा जिले में भड़के आंदोलन की की बात तो हम करते हैं लेकिन महाराष्ट्र के वर्धा जिले के एक छोटे से आष्टि गाँव की बात नहीं करते हैं। जहाँ पर सैकड़ों लोग पुलिस की गोलियों से शहीद हो गए। आष्टि गाँव के सैकड़ों लोगों को फांसी व उम्र कैद की सजा दी गई जहाँ से महात्मा गाँधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी आष्टि गाँव के शहीदों का क्या हुआ जहाँ के लोगों ने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिए मानो इतिहास ने इन आष्टि गाँव के वीर सपूतों के बलिदान को भुला दिया या हमने भुला दिया है। लेकिन बड़े दुख की बात है। कि हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते समय सयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल, बंबई, आदि की बात तो कर लेते हैं और इस स्थानों को इतिहास के पन्नों में जगह भी देते हैं। लेकिन इसी महात्मा गाँधी जी के वर्धा जिले के आष्टि गाँव को इतिहास के पन्नों में कोई जगह नहीं देते हैं।¹³ लघु फिल्म आष्टि क्रांति के अनुसार आष्टि गाँव और उस के आस-पास के सैकड़ों गाँव के लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिये इस पूरे आंदोलन में वर्धा जिले के आष्टि गाँव के अलावा खडकी, नरसापुर, व डाला, अंतोरा किंहाड़ा, खंबीत, इतममगाँव, किन्ही, देलगाव, परसोड़ा, सिरसोली, ऐसे ही बीस पच्चीस गाँव के हजारों लोगों ने भाग लिया।¹⁴ भारत छोड़ो आंदोलन में इतनी बड़ी भूमिका अदा करने के बाद भी आज आष्टि गाँव को मानो भुला दिया गया है। शहीदों को इतिहास के पन्नों में कोई स्थान मिला नहीं मिला। आज भी आष्टि गाँव के शहीद अपने मान सम्मान पाने का इंतजार कर रहे हैं। कब इन वीर सपूतों को वो स्थान मिलेगा जो बाकी शहीदों को मिला। स्वतन्त्रता दिवस आज भी आता है। लेकिन हमने इन शहीदों के बलिदान को भुला दिया है। स्वतन्त्रता संग्राम से जुड़े आष्टि गाँव की उपेक्षा हमारी कमी की ओर इशारा करती है।

भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद

महाराष्ट्र के शहीद

बंबई

9 अगस्त 1942 को बंबई तथा देश के अन्य स्थानों पर पुलिस द्वारा की गई गोली-बारी से उत्तेजित आंदोलनकारी जनता विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्र हुई। कालबा देवी पर पुलिस ने जुलूस पर अंधाधुंध गोली वर्षा की पुलिस की इस गोली बारी में केशव भोपटकर, चंदू राम, बलकु चवन, जीवन लाल रमन लाल, कन्हई ब्रिजराज, लूटा राम लाल, सदाशिव, मोहिते सखाराम, नायडू गोविंद स्वामी, नर सन्ना, मंजुला बाई पाटील, रामेश्वर रामा, शिंदेहरी, दया सोम, वामन तंदेल, रमन लाल आदि।

पूना

10 अगस्त को एस . पी. कालेज के निकट पुलिस की गोली बारी में नथोबा धावले घायल हुए 15 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई।

11 अगस्त को पुलिस की गोली बारी में अकानाथ, कोडिम्बा कोली, जी. वाई . पाटील शहीद को गए। 12 अगस्त को पुलिस को गोली बारी में मथुरा बाई माते, सिंधु ताई टिखे और गणेश जोशी की शहीद हो गए।¹⁵

नागपूर

13 व 14 अगस्त को नागपूर में आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने भीषण गोली बारी की जिसमें बलीराम, नारायण राव बागदे, बेनी राम चंद्र, रंगारी भास्कर, भूरा, द्वारका दास, रघुनाथ गोवरी, नारायण कलर, कालु, किसन, मुकुन्द, गणपत अंबोलीकर, अर्जुन बैजराव, बाबू लाल जी बैरागी, गणपत बुरादे, चिंतामान,

मानिकराव राव देशमुख, रूसी धाकते, केसव धोगे, राम चंद्र गोंडे, माधव राव जुमादे, कृष्ण राव काकडे, महादेव दुर्वे।

बिहार

बिहार के पटना, समस्तीपुर, भागलपुर, मुघेरे, शहाबाद, में पुलिस की गोली बारी में कई लोग मारे गए

समस्तीपुर

पुलिस की गोली से बदन राम, वासुदेव झा, नोबत लाल झा, राम देव झा, लखन राय, राम सेवक, मारे गए, सारण में देव सरन सिंह, फुलेना प्रसाद महतो, शंभू लाल महतो, शहीद हो गए।¹⁵ हिलसा गोलीकांड में पटना में सरी भीमसेन, झूलन राम, सिबबू राम, चरित्र दुसाध, सुखारी चौधरी शहीद हुये।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दारोगा सिंह, दूधनाथ मुखराज, अल्लहाबाद में लाल पदम धार सिंह, बैजनाथ सिंह, ननकाजी शहीद हुए बलिया में भीम अहीर, बिकरी राम, देवकी सुनार, विद्यापति गोंड, राम जनम गोंड, धर्मदेव मिश्र, मुक्तिनाथ तिवारी, शहीद हुए।

ओड़ीसा

ओड़ीसा के कोरापुट में लिंगा कटिया, गुरु कुतिया, गोपीनाथ पुजारी, बलराम भूमिया नरसिंह हरिजन भरत अमान्त्य जगनाथ, बस थरिया, सदु भन्ना, बुदु अमात्य, दिन बंधु जानी, घासी जानी, मंगरु माझी, उतना रनधारी, बाली सौरा, धोबा माधव, शहीद हुए, वही बालासोर मेन शंकर बेहारा, चित दास, गोपी जीना, गौरी जीना, निधि मालिक, श्याम मालिक अग्नि साहू, नगेन्द्र कुमार नायक शहीद हुए।

बंगाल

बंगाल के मिदनापुर में प्रसन्न कुमार भूनिया, गुनाधार हंडेल, सुधीर चंद्र हाजरा, आशुतोष कुलिया, सुरेन्द्र नाथ माइती, राखल चंद्र सामंत, खुदी राम बेरा, हरी चरण दास, भोला दास शहीद हुए।

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश के गुंटूर में अम्मिनेनी सूबा रेड्डी, जस्थी आप्प्या, भास्कररुनी, मजेती सुब्बाराव, सरी लिंगम, मदनपती पुरन चंद राव, शहीद हुए।

तमिलनाडु

तमिलनाडु में रामनाद के नललियन के . एन आरुमुगम आचारि, धर्म राजन वी, कृष्ण एयम, शहीद हुए।

दिल्ली

दिल्ली में पुलिस की गोली से अमर सिंह, बाबू राम, भरतू, बुद्ध सेन, किशोरी लाल, मंगल सिंह, मुंशी राम, श्री राम, तिखरा राम, शहीद हुए।

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी गुलाब सिंह, भवानी प्रसाद, हरदेव सिंह, बेतुल निवासी बिरसा गोंड गोलमान सेठ, रामू गोंड, दशाराम फूलमाली, उदय किरार महादेव रैवत शहीद हुए।¹⁶

आष्टि के शहीद

मध्य प्रांतों में दो स्थानों पर विशेष विद्रोह हुआ। वो स्थान थे आष्टि और चिमुर में जहाँ पर लोगो ने भारत छोड़ो आंदोलन में

बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इनमें से सबसे अधिक प्रभावित आष्टि गाँव हुआ था जहाँ के लोगों ने एक पुलिस चौकी पर सत्याग्रह करने का निश्चय किया। जिसमें कुछ पुलिस वालों की बाद में हत्या हो गई। इस आष्टि गाँव के सैकड़ों लोगों को ब्रिटिश सरकार ने सजा दिया भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव महाराष्ट्र के वर्धा जिले के आष्टि गाँव पर भी पड़ा। आष्टि तालुका जो शहीदों की भूमि के नाम से जाना जाता है। आष्टि जो वर्धा से पचास मिल की दूरी पर है। भारत छोड़ो आंदोलन में एक प्रमुख स्थान रखता है।

आष्टि गाँव भी महात्मा गाँधी जी के विचारों से विशेष रूप से प्रभावित हो रहा था जहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत का जुल्म अपने चरम सीमा पर था। Sessions judgwarha cases-t-[no]11/1944[k-e vsAnaa &16/12/1944 के अनुसार 16 अगस्त 1942 को अष्टि और आस पास के सैकड़ों गाँव के लोग पुलिस चौकी पर सत्याग्रह करने वाले थे। इनमें आष्टि,खिड़की, सिरसोली,वडाला,ऐसे ही बीस से पच्चीस गाँवों से सैकड़ों लोग भारत की आजादी का जुनून लिए आष्टि पुलिस चौकी पर गाँधी जी के विचारों से प्रभावित होकर सत्याग्रह करने के लिए जा रहे थे। इस मोर्चे की कमान पांडुरंगजी सवालारे, रामभाऊ लोहे,गुलाबराव जी वाघ,माधवराव देशमुख,गोविंदराव मालपे जी कर रहे थे सभी सत्याग्रही आष्टि पुलिस चौकी की तरफ बढ़ते जा रहे थे सभी सत्याग्रही पुलिस चौकी पहुँच कर सत्याग्रह करने लगे लेकिन आष्टि पुलिस चौकी के पुलिस उपनिरीक्षक रामनाथ मिश्रा ने सभी सत्याग्रहियों को पुलिस चौकी पर सत्याग्रह करने से मना कर दिया। जिससे सभी सत्याग्रहियों और पुलिस के बीच टकराव बढ़ने लगा। तभी पुलिस उपनिरीक्षक राम नाथ मिश्रा ने शांति तरीके से आष्टि पुलिस चौकी पर सत्याग्रह कर रहे आष्टि के लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया।⁷

डाक्यूमेंटरी फिल्म आष्टि एक क्रान्ति एवं आष्टिचा स्वतन्त्रता संग्राम १९४२ बंडखोर खेड्यांची गोष्ट में लिखते हैं की इस गोली बारी में गोविंद माल्ये जी, नवाब रशीद खा सादल खा, केशव श्रावण ढोगे, पंची पोलसू गोंड,उदेभानजी डोमाजी कुबड़े, शहीद हो गये। ठीक उसी समय आस पास के सैकड़ों गाँव, सिरसोली, खडकी, अन्तारे, नरसापुर, किनाडा, दोलवाड़ी, के लोग आष्टि पुलिस चौकी की तरफ बढ़ रहे थे जिसमें तुक्याबोई, राजराम भोई, मतिराम बोन, बापुराव कापटी, मनीराम काड़े, बापुराव चावले, बाबा जवाजे, इसाराम तेली, बालमुकुंद, दमोघर, कालूलाल, कलेखान विलयातखान थे। इन सत्याग्रहियों का नेतृत्व गुलाबराव वाघ कर रहे थे, और नारी शक्ति का परिचय अहिल्याबाई नागपुरे, कासाबई लोहारीन, कौशल्याबाई, विठाशिंदे दे रही थी।

Sessions judgwarha case s-t-no11/1944k-e vsAnaa &16/12/1944 के अनुसार जब सभी सत्याग्रहियों को जैसे ही पता चला कि पुलिस की गोली बारी में उनके साथी मारे गए हैं तो सभी सत्याग्रहियों ने आष्टि पुलिस चौकी के इंसपेक्टर रामनाथ मिश्रा,पुलिस हवलदार श्री लाल सिंह,हवलदार श्री महादेव प्रसाद, श्री विनायक को मार डाला। इस पूरे आंदोलन में शामिल सैकड़ों लोगो को ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस आंदोलन में सैकड़ों लोगों को फांसी,उम्रकैद,की सजा हुई।⁸

special judge tahsilAravi wardha case no 1/1942 in case of pasties –king empers vs mahadea + 113 decidid 5/12/1942 के अनुसार ५ दिसंबर १९४२ को विशेष न्यायालय द्वारा सत्याग्रहियों को फांसी की सजा सुनायी गई जिसमें श्री पांडुरंग जैराम कलार,श्री रघुनाथ पांडुरंग कुंभार, श्री तुलशीराम सखाराम पांचघरे,श्री बकराम रामजी मुकदम, श्री वामन बलीराम तेली, श्री उंकड्या आनंदराव भोई,श्री कालेखान विलयातखान,श्री नथु जैराम

माली,श्री माधव श्रावण देशमुख,श्री गुलाबराव विटलराव वाघ जी को फांसी की सजा दी गई।⁹

Special judge tahsilAravi wardha case]no 1/1942 in case of pasties –king empers vs mahadea + 113 decidid 5/12/1942 ब्रिटिश हुकूमत ने आष्टि के सत्याग्रहियों का आंदोलन खत्म करने के लिए कई लोगों को उम्रकैद की सजा दी जिसमें ४ दिसंबर १९४२ को विशेष न्यायालय द्वारा सैकड़ों लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई जिनमें महादेव बलीराम सवालारे,मोतिराम चौतु गोंड,काशीराम बलीराम माल्ये, बापुराव कृष्णराव, माल्ये, गणपत विटू माली, विनायक बापुराव ब्राहमन, चंपत हमधा भोई, उध्या गणपत कासार, रामभाऊ शिवराम पाटील, सूर्यभान शिवराम पाटील, राजाराम शिवा भोई, इशराम बापुजी तेली, बापुराव नथु तेली, नागो गणपत गुरव, मारोती राजाराम गुरव, माधोराव नारायण मुकदम, रामा चौतू गोंड, शिवराम पैकू माली, नथुराम कृष्णा रामे, काशीनाथ माली, आदि को उम्र कैद की सजा दी गई। नागपूर हाइ कोर्ट में सत्याग्रहियों के ऊपर चले केस सत्याग्रहियों को फांसी के बदले में लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई। जिनमें पांडुरंग कलार, कलेखान विलायत खान, मधाव देशमुख और गुलाबराव वाघ आदि थे।¹⁰

Sessions judgwarha case s-t-no11/1944k-e vsAnaa &16/12/1944 के अनुसार वहीं सेशन कोर्ट, वर्धा ने २१ अक्टूबर १९४४ को नथु बाबूजी कुनबी, दलपत भगवान कुनबी, मारोती कृष्णा कोहली, पंजाबराव गणपतराव मानकर, गणपती भोई, पांडुरंग हिरसा सवालारे को तीन वर्ष से लेकर उम्र कैद की सजा दी गई।¹¹

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. संपादक शुल्क, रामलखन. आधुनिक भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 1987; पृष्ठ. 890
2. सुमित. आधुनिक भारत, अनुवादक, सुशीला डोभाल, राजकमल प्रकाशक, नई दिल्ली. 1992; पृष्ठ. 802
3. वही पृष्ठ. 809
4. गुप्ता. रमेश. आष्टिचा स्वतन्त्रता संग्राम १९४२ बंडखोर खेड्यांची गोष्ट. प्रकाशक. रामकृष्ण गंजीवाले आष्टि वर्धा. 1976; पृष्ठ. 325
5. कुमार, वीरू वीरेंद्र. भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के शहीद, अनुराग प्रकाशन, नई दिल्ली. 2001; पृष्ठ. 13
6. वही पृष्ठ. 15
7. ASessions judgwarha cases-t-[no]11/1944[k-e vs anaa &16/12/1944
8. Sessions judgwarha case s-t-no11/1944k-e vs anaa &16/12/1944
9. special judge tahsil aravi wardha case no 1/1942 in case of pasties –king empers vs mahadea + 113 decidid 5/12/1942
10. special judge tahsil aravi wardha case]no 1/1942 in case of pasties –king empers vs mahadea + 113 decidid 5/12/1942
11. Sessions judgwarha case s-t-no11/1944k-e vs anaa &16/12/1944
12. Wardha court case file
13. Nagpur high court case file
14. Judgments oh special court session case file
15. संपादक, सिंह, फणीश, 1942 की अगस्त क्रांति, राजकमल प्रकाशन, पटना, 2012

16. सहाय,गोविंद, बयालीस का विद्रोह, नागपूर सदन इंदौर, 1946
17. कुमार,वीरू वीरेंद्र,भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के शहीद, अनुराग प्रकाशन,नई दिल्ली,2011
18. संपादक शुल्क, रामलखन . आधुनिक भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 1987
19. प्रधान, रामचन्द्र . राज से स्वराज भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद का इतिहास, प्रकाशक,मैकमिलन, न्यू दिल्ली, 2012
20. संपादक, अमीन,शाहीद, पांडे,ज्ञानेंद्र . निम्नवर्गीय प्रसंग,भाग एक,दो, राजकमल प्रकाशक, नई दिल्ली,2002
21. चंद्र,बिपिन . अनुवादक,एन.ए.खान 'शाहिद' भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.) लि . नई दिल्ली, 2009
22. सरकार,सुमित . आधुनिक भारत, अनुवादक, सुशीला जोभाल, राजकमल प्रकाशक, नई दिल्ली, 1992
23. वर्धा गजेटियर
24. ठाकरे . आर .एस, आष्टिचा क्रांतिदिन . प्रकाशन .आगस्ट क्रांति महोत्सव समिति मुंबई, १९६२
25. गुप्ता . रमेश . आष्टिचा स्वतन्त्रता संग्राम १९४२ बंडखोर खेड्यांची गोष्ट .प्रकाशक .रामकृष्ण गंजीवाले आष्टि वर्धा . १९७६
26. गुप्त,मन्मथनाथ . भारतीय क्रांति कारी आंदोलन का इतिहास. आत्मा राम एंड संस .दिल्ली .२००६
27. ई .एम .एस .नंबूदिरीपाद, भारत का स्वाधीनता संग्राम, अनुवादक,आनंद स्वरूप, ग्रंथ शिल्पी, २००४
28. ताराचंद, भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन का इतिहास खंड 4, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार,दिल्ली,1984
29. सिंह, मनोज कुमार, कुमार आशुतोष, महात्मा गाँधी एक अवलोकन, के . के पब्लिकेशंस,दिल्ली,2007
30. रावत,ज्ञानेंद्र, गाँधी रू व्यक्तित्व विचार और गांधीवाद, श्री नटराज प्रकाशन, दिल्ली, 2006.
31. The collected works of mahatma gandhi] vol 86
32. The collected works of mahatma gandhi] vol 87
33. The collected works of mahatma gandhi] vol 88
34. The collected works of mahatma gandhi] vol 89
35. The collected works of mahatma gandhi] vol91
36. Tope-t-k] bombayand congress movement] publisher] shri s-d- deshमुख secretary] maharashtra state board for literatureand culture mantralaya bombay 1986 Journal
37. Kaur-Rajinder] role of women in india independence] scholars journal ofarts] humanitiesand social sciences] publishers] scholarsacademicand scientific ¼ sas publishers 2014